लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3659
उत्तर देने की तारीख : 10.08.2021

अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित जानकारी

3659. श्री हाजी फजलुर रहमान:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लोगों से संबंधित कोई जानकारी है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) इनके उत्थान और मान्यता के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क) और (ख): जी नहीं। ग्रामीण विकास मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा की गई सामाजिक, आर्थिक जाति जनगणना, 2011 में एससी/एसटी के अलावा, परिवारों की जातिगत स्थिति के सही आंकड़े को संग्रहित नहीं किया जा सका था।

(ग): सरकार ओबीसी के उत्थान हेतु निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित कर रही है:-

(i) केन्द्र सरकार की नौकरियों में सीधी भर्ती के लिए और केन्द्रीय सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामले में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण उपलब्ध है।
(ii) ओबीसी के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति
(iii) ओबीसी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
(iv) ओबीसी के लिए ओवरसीज अध्ययन हेतु शैक्षणिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी संबंधी डॉ. अंबेडकर स्कीम।
(v) ओबीसी के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप
(vi) ओबीसी बालक एवं बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण
(vii) ओबीसी के कौशल विकास हेतु सहायता
(viii) ओबीसी के लिए उद्यम पूंजी निधि की शुरुआत
(ix) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की ओबीसी के लिए कम ब्याज वाली ऋण/वित्तीय सहायता संबंधी स्कीमें।

*****